25/3/26

पत्रावली पेश हुई। उ० पक्ष अनुपस्थित किया
जाता है। निस्तारण निर्णय प्रारूप के निस्तारण
जावे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
दैनिक सूची से हटाकर नियम के बाद हेतु
दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[illegible] [illegible]री
[illegible] कस्बा [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी देवराज मीणा (आर.ए.एस)

	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
	128 एलआर एक्ट	18.02.26	24.03.2026

उनवान

1. मनीष कुमार उम्र 40 साल — पुत्रान
2. भूपेन्द्र कुमार उम्र 35 साल — कृपालाल — जातियान मीणा
3. श्रीमती [illegible] पत्नि स्व0 कृपालाल उम्र 62 साल — निवासीयान कोंडर
4. रामलाल उम्र 6? साल पुत्रान — तहसील व जिला
5. प्रकाश उम्र 55 साल [illegible] — करौली राज0
6. [illegible]बाई उम्र [illegible] साल — पुत्रीयान
7. [illegible] उम्र [illegible] साल — [illegible]
8. [illegible] उम्र [illegible] साल

—प्रार्थीयान

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उम्र 48 साल
2. ओमप्रकाश उम्र 43 साल
3. रामनारायण उम्र 35 साल
4. चेतराम उम्र 29 साल
5. [illegible] उम्र 23 साल — पुत्रान प्रीतम
6. लक्ष्मीबाई पुत्री प्रीतम उम्र 45 साल
7. राजन्ती बेवा प्रीतम उम्र 70 साल
8. जयनारायण पुत्र रामचंद उम्र 58 साल
9. शिवनारायण उम्र 38 साल
10. बनैसिंह उम्र 35 साल
11. रामरूप उम्र 31 साल
12. कमलसिंह उम्र 23 साल — पुत्रान परमानन्द
13. रामनिवासी पुत्री परमानन्द उम्र 28 साल
14. बत्तो पत्नि परमानन्द उम्र 53 साल
15. जगमोहन पुत्र दरबचंद उम्र 55 साल
16. केसरिया पुत्र अनंद उम्र 62 साल
17. मुरसिंह पुत्र कल्याण उम्र 48 साल
18. [illegible] पत्नि केसरिया उम्र 59 साल

जातियान मीना निवासीयान कोंडर तहसील व जिला करौली राज0

19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज0

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र धारा 128, 130, 131 एल आर एक्ट

--:निर्णय:-- दिनांकः– 24/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 817 रकबा 3 वीघा 03 विस्वा ग्राम कोंडर तहसील करौली में स्थित हे जो प्रार्थीयान व अप्रार्थी नं0 16 मा 18 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सबूतन नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। आराजी खसरा नं0 815 व 816 ग्राम कोंडर अप्रार्थीयान नं0 1 ता 15 के खातेदारी की

है जो प्रार्थीयान के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 817 के दक्षिण दिशा में है और खसरा नं. 815, 816, 817 की सीमायें आपस में सटी हुई हैं। दिनांक 21.11.2019 को तहसीलदार अप्रार्थी नं0 19 से प्रार्थीया ने खसरा नं0 817 का सीमाज्ञान कराने का आदेश कराया था जिसके तहत पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान कराया गया था तब अप्रार्थीयान नं0 1 ता 15 ने सीमाज्ञान चिन्हों को मानने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीयान व अप्रार्थी नं0 16 ता 18 को आराजी खसरा नं0 817 की दक्षिणी दिशा की हदबंदी के लिए फरसी, पट्टियां नही गाडने दी और कहा कि तहसीलदार करौली अप्रार्थी नं0 19 से पत्थरगढी सीमांकन कराने के बाद ही फरसी, पट्टिया गाडने व दीवार प्रार्थीयान को करने देंगे तथा प्रार्थीयान व अप्रार्थी नं0 16 ता 18 ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट मुकदमा नं0 04/2020 उनवानी बृजलाल बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 दिनांक 19.01.2021 को खसरा नं0 817 ग्राम कोंडर की अप्रार्थी नं0 19 को पत्थरगढी, सीमांकरन करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 18.07.2022 को तहसीलदार करौली द्वारा उक्त आराजी की सीमांकन, पत्थरगढी करायी गयी और पत्थर, पट्टिया गाडी गयी। पत्थरगढी, सीमांकन मौका पर्चा दिनांक 18.07.2022 को प्रमाणित प्रति दर0 के साथ पेश है। दिनांक 18.07.2022 को पत्थर गढी, सीमांकन के समय प्रार्थीयान द्वारा खसरा नं0 817 की सीमा पर गाढे गये पत्थर व पट्टियों के अनुसार प्रार्थीयान दिनांक 07.06.2023 को पट्टिया गाढने व दीवार बनाने लगे तो अप्रार्थीयान ने पट्टिया नही गाढने दी व दीवार नही बनाने दी तब प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 ता 15 से निर्माण दिनांक 19.01.2021 को पालन करने की कहा तो साफ इन्कार हो गये और पत्थरगढी सीमांकन दिनांक 18.07.2022 को मौके पर तहसीलदार करौली इंचार्ज नायब तहसीलदार करौली द्वारा गढवाये गये पत्थर व पट्टियों को मौके से जबरन ताकत के बल पर हटा दिया तभी बारिश शुरू हो गई तब प्रार्थीयान ने अपनी भूमि में बिना सुरक्षा दीवार के फसल बाजरा काश्त के लिए बो दी जो अब कट चुकी है। अप्रार्थी नं0 1 ता 15 द्वारा ताकत के बल पर उखाडे गये, हटाये गये पत्थरगढी, सीमांकन चिन्हों को प्रार्थीयान पुलिस इमदाद के पुनः अप्रार्थी नं0 19 से सीमांकन कराकर पत्थरगढी, सुरक्षा दीवार कराने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली में स्थित हैं इसलिए न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनवाई का हक हासिल है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 19.03.2026 को जबाव बंद किया गया।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान की खातेदारी व कब्जे की होना एवं वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के मध्य सीमा विवाद होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थीयान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे की कोई सीमा विवाद हो। प्रार्थीयान अपनी भूमि की पत्थरगढी सीमांकन कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोंडर तहसील करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 817 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली